भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या 194**
उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024
सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

**उद्यमिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ**

***194. श्री दिनेशभाई मकवाणा: श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्यमिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के महत्व की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा झारखंड सहित देश में इस योजना के तहत कुल कितनी महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य है; और

(घ) सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'उद्यमिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 194 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) और (ख) भारत सरकार महिला उद्यमियों को सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं, व्यावसायिक अवसरों और प्रशिक्षण तक पहुँच की कमी को दूर करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के महत्व को जानती है। सरकार ने प्रशिक्षण, एडवोकेसी और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुँच के माध्यम से उद्यमशीलता में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन पहलों में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताओं का निर्माण करने, महिला-नीत उद्यमों के विकास का समर्थन करने और महिला उद्यमशीलता विकास के लिए परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से महिलाओं में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं।

(ग) झारखंड राज्य सहित पूरे देश में महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने भी झारखंड राज्य सहित पूरे देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। कुछ प्रमुख पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) एमएसडीई ने इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरों के नेटवर्क, उद्योग संपर्क, ऋण और बाजार संबंधों के माध्यम से महिला उद्यमशीलता को सक्षम बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग किया है। निसबड ने भारतीय उद्यमशीलता इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य महिलाओं सहित महत्वाकांक्षी और मौजूदा छोटे व्यवसाय मालिकों को आज के गतिशील बाजार परिवेश में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना है। यह भागीदारी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सात क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग कौशल में नवोदित और मौजूदा उद्यमियों को प्रशिक्षित करने में मदद करेगी।

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से निसबड उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य बेरोजगार युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों और महिलाओं सहित छात्रों के बीच उद्यमिता को एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है। यह परियोजना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत प्रायोजित है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

आईआईई ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की स्कीम (एएसपीआईआरई)' के अंतर्गत आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, आईआईई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला उद्यमशीलता सहित कौशल इकोसिताम और उद्यमशीलता विकास को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध-I

**"उद्यमिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

1. **संकल्प स्कीम के अंतर्गत क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना –** निसबड और आईआईई के माध्यम से एमएसडीई, एमएसडीई के आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के समर्थन से समाज के विभिन्न सीमांत वर्गों और महिलाओं के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है। संस्थानों ने वित्त-वर्ष 2022-23 से वित्त-वर्ष 2024-25 तक परियोजना के तहत 62101 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 45262 महिलाएँ शामिल हैं। झारखंड राज्य में 4,617 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3,349 महिलाएं हैं।

2. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) परियोजना एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थान** - निसबड और आईआईई के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत से अब तक इस परियोजना के तहत कुल 38396 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 32591 महिलाएं हैं। झारखंड राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत 2,671 शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2,474 महिलाएं हैं।

3. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना** एमएसडीई की औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना के तहत, निसबड और आईआईई ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थानों ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और शिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। संस्थान ने वित्त-वर्ष 2023-24 से वित्त-वर्ष 2024-25 तक परियोजना के तहत कुल 101934 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 29343 महिलाएँ हैं। झारखंड राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत 4,623 शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 512 महिलाएं हैं।

**4. प्रधानमंत्री स्व-निधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना** – निसबड और आईआईई  ने एमएसडीई के सहयोग से प्रधानमंत्री स्व-निधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना को लागू किया है। इस परियोजना में एक सप्ताह का कक्षा कार्यक्रम और 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और मार्गदर्शन शामिल है। संस्थानों ने वित्त-वर्ष 2023-24 में परियोजना के तहत कुल 1744 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 1205 महिलाएँ शामिल हैं।

**5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों में ईडीसी और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन** - इस परियोजना के अंतर्गत, आईआईई पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन कर रहा है। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 30 ईडीसी और चार आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों के 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों के 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, चार आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को इनक्यूबेट करना, अभिसरण के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना और चार आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेट्स के लिए सीड फंड देना शामिल है। आईआईई ने वित्त-वर्ष 2023-24 से परियोजना के तहत कुल 1909 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है।

**1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** - नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। 31 अक्तूबर 2024 तक, कुल 1,52,139 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 73,151 स्टार्ट-अप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। झारखंड राज्य में, वर्ष 2019-2023 के दौरान, 490 संस्थाओं को कम से कम एक महिला-नीत वाली स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है।

महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

i. महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स को इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम में 10% फंड महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स के लिए आरक्षित है।

ii. महिला क्षमता-विकास कार्यक्रम (विंग) महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स के लिए एक अनूठा क्षमता-विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में पहचानना और उनका समर्थन करना है। कार्यशालाएँ तकनीक, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएँ उभरती हुई महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं।

iii. महिला-नीत वाले तकनीकी स्टार्टअप्स को प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सपोर्ट के साथ सहयोग देने के लिए ज़ोन स्टार्ट-अप्स के सहयोग से महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया।

iv. स्टार्ट-अप इंडिया हब: स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज तैयार किया गया है। इस पेज पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

v. असेंड स्टार्ट-अप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्ट-अप के लिए महिला कार्यशालाएं: सरकार ने उद्यमियों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए स्टार्ट-अप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - असेंड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमशीलता की गति को बढ़ाना) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जाती हैं।

vi. महिला उद्यमशीलता मंच (डबल्यूईपी): सरकार ने महिला उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सूचना विषमता को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में डबल्यूईपी को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में आरंभ किया।

vii. सुपरस्ट्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों की अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। पॉडकास्ट महिलाओं के नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाता है और देश में महिला उद्यमशीलता को और सुदृढ़ करता है।

viii. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने का एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और विशेष प्रोत्साहनों के निर्माण और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है।

ix देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की समझ, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की।

2. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** - एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके पहुँच तक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षीय जिलों से संबंधित लाभार्थियों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है।

इसके अलावा, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का अपना अंशदान 5% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर समर्थन दिया जाता है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00

करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

पीएमईजीपी के तहत, महिला उद्यमियों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, महिलाओं को इस स्कीम के अंतर्गत विशेष श्रेणियों के तहत माना जाता है और वे उच्च मार्जिन मनी सब्सिडी और कम व्यक्तिगत योगदान के लिए पात्र हैं।

3. **ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)** - ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की छत्र स्कीम के तहत देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए उनके लाभकारी रोजगार के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में दो कल्याणकारी स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है, जिससे उन्हें वेतन रोजगार मिलता है। डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों में एससी और एसटी के लिए 50% और अल्पसंख्यकों के लिए 15% निधि निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, योजना के तहत कवर की जाने वाली सामान्य श्रेणी सहित संबंधित श्रेणियों के एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): आरएसईटीआई एक बैंक प्रमुख-ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा उनके जिलों में कौशल और उद्यमशीलता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण गरीब उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। 18-45 वर्ष की आयु का कोई भी बेरोजगार युवा आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कुछ नियमित वेतन वाली जॉब/वैतनिक रोजगार भी चाह सकते हैं। आरएसईटीआई योजना के तहत, महिला उद्यमियों को अपने उद्यम/गतिविधियां स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्यमशीलता कौशल सिखाए जा रहे हैं, जो उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए आश्वस्त करेगा। वे अपनी पसंद की गतिविधि का चयन कर सकती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और उस क्षेत्र में कौशल हासिल कर सकती हैं और उद्यम शुरू कर सकती हैं आरएसईटीआई के तहत 2014-15 से 2024-25 तक (31.10.2024 तक) 29,98,889 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 1,43,308 झारखंड राज्य में हैं।

4. **वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को दिनांक 08.04.2015 को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई), यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए आरंभ किया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय स्कीम है, वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए स्कीम के अंतर्गत ऋण ले सकता है, जिसमें कृषि से संबद्ध गतिविधियां

भी शामिल हैं। चार ऋण श्रेणियों अर्थात शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण, उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 से 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं) में ऋण प्राप्त कर सकता है। स्कीम की शुरुआत से लेकर 01 नवम्बर, 2024 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत 31.28 लाख करोड़ रुपए की राशि के कुल 50.31 करोड़ ऋण दिए गए हैं, जिनमें से कुल 34.01 करोड़ (68%) ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

**स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) स्कीम** को दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच मूल्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने देश भर में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को 2.51 लाख से अधिक ऋण की सुविधा प्रदान की है और योजना की शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक महिला उद्यमियों को कुल 2.10 लाख (84%) ऋण मंजूर किए गए हैं।

5. **आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है, ताकि उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान की जा सके, ताकि महिलाओं सहित शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करके, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके।

कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्ति (ईएसटीएंडपी) के माध्यम से रोजगार: इस घटक का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार की कौशल मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर सकें या वेतनभोगी रोजगार प्राप्त कर सकें। कौशल प्रशिक्षण को मान्यता और प्रमाणन से जोड़ा जाएगा और अधिमानतः सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा।

स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी): यह घटक शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, अर्हता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभदायक स्वरोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ईएसटीएंडपी और एसईपी के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी एसएचजी पर निजी ब्याज की 7 प्रतिशत दर से अधिक ब्याज सब्सिडी लागू होगी। सभी शहरों में समय पर अपना ऋण चुकाने वाली सभी महिला एसएचजी को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

डे-एनयूएलएम के तहत (प्रारंभन से दिनांक 20.11.2024 तक), देश भर में बैंक से जुड़े कार्यक्रम के तहत 8,93,773 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को ऋण वितरित किए गए, जिनमें से 17,549 झारखंड राज्य में हैं।

*****